रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2015/फाल्गुन 20, 1936
No. 540] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2015 /PHALGUNA 20, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2015

का.आ. 723(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 861(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2013 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: —

उक्त अधिसूचना की सारणी में, गुजरात राज्य के संबंध में क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित का विलोप किया जाएगा: —

"8ए	गांधीधाम – कांडला पत्तन गुजरात राज्य में	किमी 362.160 से किमी 371.135"

[फा. सं. एनएच-14013/03/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 861(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2013 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2015

S.O. 723(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 861(E), dated the 1st April, 2013, namely:–

In the Table to the said notification, the following entries in respect of the State of Gujarat, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:—

"8A	Gandhidham – Kandla Port. In the State of Gujarat.	From km. 362.160 to km. 371.135"

[F. No. NH-14013/03/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note : The principal notification was published vide number S.O. 861(E), dated the 1st April, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2015

का.आ. 724(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"7.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, [किमी 29.100 से किमी 4.740 (हजीरा से सूरत) और किमी 7.325 से किमी 103.149 (सूरत से महाराष्ट्र/गुजरात सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 8ए [किमी 0.000 से किमी 71.400 (कांडला – मुंद्रा पत्तन) और **किमी 183.500 से किमी 362.160 (गांधीधाम से समखियाली से बामनबोर खंड)** तक को छोड़कर], सं. 8डी [(किमी 0.000 से किमी 127.000 (जेतपुर-सोमनाथ) तक खंड को छोड़कर], सं. 8ई, सं. 59 [(किमी 4.200 से किमी 122.420 (अहमदाबाद-गोधरा) और किमी 129.300 से किमी 215.900 (गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा) तक को छोड़कर], सं. 113, सं. 228, नई रारा सं. 51 [(लिंबदी – सुरेंद्रनगर – ध्रंगधरा – कुडा खंड (पूर्ववर्ती नई रारा सं. 147ए)], नई रारा सं. 56, नई रारा सं. 58, नई रारा सं. 68 (समखियाली से राधनपुर खंड को छोड़कर), नई रारा सं. 251, नई रारा सं. 341, नई रारा सं. 351, नई रारा सं. 753बी, नई रारा सं. 848, नई रारा सं. 848ए, नई रारा सं. 848बी, नई रारा सं. 927डी और नई रारा सं. 953 के उतने भाग जो गुजरात राज्य में अवस्थित हैं।	गुजरात राज्य सरकार"।

[फा. सं. एनएच-14013/03/2015-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ)**,** तारीख 4 अगस्त**,** 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार सं. का.आ. 34(अ)**,** तारीख 2 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March , 2015

S.O. 724(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

TABLE

" 7	So much of National Highways No. 6 [excluding from km. 29.100 to km. 4.740 (Hazira to Surat) and km. 7.325 to km. 103.149 (Surat to Maharastra/Gujarat Border)], No. 8A [excluding from km. 0.000 to km. 71.400 (Kandla-Mundra Port) and **from km. 183.500 to km. 362.160 (section from Gandhidham to Samakhyali to Bamanbore)]**, No. 8D [excluding from km. 0.000 to km. 127.000 (Jetpur-Somnath)], No. 8E, No. 59 [excluding from km. 4.200 to 122.420 (Ahmedabad-Godhra) and from km. 129.300 to km. 215.900 (Godhara-Gujarat/Madhya Pradesh Border)], No. 113, No. 228, New NH No. 51 [Limbdi-Surendranagar-Dhrangadhra-Kuda section (erstwhile new NH No. 147A)], new NH No. 56, new NH No. 58, new NH No. 68 (excluding Samakhyali to Radhanpur section), new NH No. 251, new NH No. 341, new NH No. 351, new NH No. 753B, new NH No. 848, new NH No. 848A, new NH No. 848B, new NH No. 927D and new NH No. 953 as are situated within the State of Gujarat.	State Government of Gujarat".

[F. No. NH-14013/03/2015-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note : The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 34 (E), dated the 2nd January, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.